

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर-492002

आदेश

नवा रायपुर, दिनांक: 01/08/2023

क्रमांक एफ 1-24/2023/20-2... सहायक शिक्षक(एल.बी.) से प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला) और शिक्षक तथा शिक्षक से प्रधान पाठक(पूर्व माध्यमिक शाला) के पद पर पदोन्नति पश्चात् पदस्थापना ओपन काउंसलिंग के माध्यम से किए जाने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-96/2022/20-2, दिनांक 07.11.2022 एवं दिनांक 29.03.2023 द्वारा प्रदेश के समस्त संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया था।

2/ निर्देशों के पालन में संभागीय संयुक्त संचालक(शिक्षा) रायपुर के द्वारा सहायक शिक्षकों के पदोन्नति उपरांत पदस्थापना हेतु काउंसलिंग करते हुए पदस्थापना आदेश जारी किए गए थे। उक्त काउंसलिंग के पश्चात् भी पदोन्नति उपरांत पदस्थापना आदेश में संशोधन किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत की संभागायुक्त, रायपुर से प्रारंभिक जांच कराया गया। जांच में पाया गया कि-

(1) स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ 2-88/2021/20-2, दिनांक 06.01.2022 द्वारा शिक्षक के पद पर पदोन्नति के निर्देश दिए गए थे। प्रकरण में सहायक शिक्षक(एलबी.) से शिक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु सदस्यीय विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया गया था:-

(क) श्री के.कुमार-तत्कालीन संयुक्त संचालक(अध्यक्ष)

(ख) श्री सी.एस.ध्रुव-जिला शिक्षा अधिकारी ब.बा.-भाटापारा,

(ग) श्री आर.के.वर्मा-प्राचार्य डाईट रायपुर,

(घ) श्री डी.एस.ध्रुव- सहायक संचालक संभागीय शिक्षा कार्यालय रायपुर(सदस्य सचिव)

(ड.) श्रीमती शैल सिन्हा- सहायक संचालक शिक्षा संभागीय कार्यालय, रायपुर,

(च) श्रीमती उषा किरण खलखों- सहायक संचालक शिक्षा संभागीय कार्यालय, रायपुर.

(2) रायपुर संभाग अंतर्गत में विभिन्न पदों के कुल 3335 पद रिक्त रहा है, जिसमें शिक्षक एलबी. से शिक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु 1319 पदों की डीपीसी. हेतु दिनांक 31.03.2023 को बैठक आहूत किया गया। कुछ लोगों का माननीय न्यायालयीन प्रकरण विचाराधीन होने के कारण दिनांक 31.03.2023 को विषय हिन्दी/संस्कृत/उर्दू विषय में पदोन्नति आदेश जारी नहीं किए गए। शेष विषय में ई-संवर्ग+टी-संवर्ग के 949 लोगों का पदोन्नति आदेश जारी किए गए।

(4) प्रकरण में, ऐसे सहायक शिक्षक(एल.बी.) जो प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नत होकर कार्यभार ग्रहण कर चुके थे, दिनांक 19.04.2023 को रिब्यू डी.पी.सी. आहूत किया गया, जिसमें वही सदस्य सम्मिलित रहे जो मूल डी.पी.सी. में सम्मिलित रहे हैं, परंतु दिनांक 31.03.2023 की डी.पी.सी. उपरांत पदोन्नति किए गए शिक्षकों को आदेश के संबंध में कोई आदेश/निर्देश जारी नहीं किया गया।

(5) रिब्यू डी.पी.सी. दिनांक 19.04.2023 के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 15.05.2023 द्वारा सहायक शिक्षक(एलबी.) को शिक्षक के पद पर ई-संवर्ग+टी- संवर्ग के विषयवार कुल 1283 पदोन्नति आदेश जारी किए गए।

निरंतर...2....



(6) पदोन्नत शिक्षकों का शासन निर्देश अनुसार दिनांक 17.05.2023 से दिनांक 21.05.2023 तक विषयवार ओपन काउंसलिंग किया गया और दिनांक 25.05.2023 को पदोन्नति आदेश जारी किए गए।

(7) ओपन काउंसलिंग पश्चात् पदस्थापना में संशोधन हेतु 778 अभ्यावेदन प्राप्त हुए। सभी अभ्यावेदनों में निर्णय लिए जाने हेतु बिना शासन आदेश/निर्देश के छान-बीन समिति का गठन किया गया-(1)-श्री सी.एस.ध्रुव- जिशिशिअ.ब.बा.-भाठापारा, (2)श्री एस.के.गेंदले- विखंशिअ.सिमगा, जिला ब.बा.-भाठापारा, (3)श्री संजय पुरी गोस्वामी- शिखंशिअ.धरसीवा, जिला रायपुर, (4)श्री डी.एस.ध्रुव- सहायक संचालक, शिक्षा कार्यालय रायपुर, (5)श्री आर.के.वर्मा- प्राचार्य डाईट, रायपुर और उनके द्वारा 565 शिक्षकों का संशोधन की अनुशंसा की गई, जिसमें 543 शिक्षकों के विधि विरुद्ध पदस्थापना आदेश में संशोधन किया जाना पाया गया।

(8) श्री आर.पी.दास, विखंशिअ. गरियाबंद को शिकायत के आधार पर उन्हें तत्कालीन संभागीय संयुक्त संचालक, रायपुर के द्वारा उन्हें कार्य करने हेतु आवेशित किया गया है। इस संबंध में कार्य स्थल परिवर्तन किया गया है, जो शास्ति की श्रेणी में नहीं आता, किन्तु इस कृत्य से शासन को न्यायालयीन प्रकरण का सामना करना पड़ रहा है।

3/ उक्त संबंध में, कुल 1283 सहायक शिक्षकों के पद से पदोन्नति उपरांत 543 शिक्षकों के पदस्थापना स्थान में संशोधन कर शासन निर्देश के विपरीत अनियमिता की गई, जिसमें मुख्य रूप से तत्कालीन संयुक्त संचालक(शिक्षा) रायपुर के साथ-साथ विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य एवं विधि विरुद्ध छान-बीन समिति के सदस्यों के द्वारा अवैधानिक रूप से पैसों की लेन-देन कर भारी भ्रष्टाचार किए जाने की पुष्टि हुई है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा(आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार है।

4/ अतएव, राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9(1)(क) के तहत -

- (1) श्री के.कुमार- तत्कालीन संयुक्त संचालक(शिक्षा) रायपुर,
- (2) श्री सी.एस.ध्रुव- जिला शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार-भाठापारा,
- (3) श्री आर.के.वर्मा- प्राचार्य डाईट रायपुर,
- (4) श्री डी.एस.ध्रुव- सहायक संचालक संभागीय शिक्षा कार्यालय रायपुर,
- (5) श्रीमती शैल सिन्हा- सहायक संचालक शिक्षा संभागीय कार्यालय, रायपुर,
- (6) श्रीमती उषा किरण खलखो- सहायक संचालक शिक्षा संभागीय कार्यालय, रायपुर,
- (7) श्री संजय पुरी गोस्वामी- शिखंशिअ.धरसीवा, जिला रायपुर,
- (8) श्री एस.के.गेंदले- विखंशिअ. सिमगा, जिला बलौदाबाजार- भाठापारा.

तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।

5/ निलंबन अवधि में उक्त निलंबित लोक सेवकों का मुख्यालय लोक शिक्षण संचालनालय नवा रायपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में निलंबित लोक सेवकों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आवेदानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

निरंतर...3...


पृ0क्रमांक एफ 1-24/2023/20-2
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर, दिनांक: 01/08/2023

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर।
3. संभागायुक्त, रायपुर, छत्तीसगढ़।
4. संभागीय संयुक्त संचालक(शिक्षा) रायपुर, छत्तीसगढ़।
5. सर्व संबंधित श्री/श्रीमती-----

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

6. स्टाक फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग